

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/443

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
हरीशचन्द्र बनाम इन्द्रजीत शर्मा आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 128 वर्ष 2024

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

11.07.2024 वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 16.07.2024 को पेश हो।

ED

16.7.2024

वकूलाए फरिश्त उपस्थित/PU माह 30 वर्ष
पत्रावली 19-07-2024
दिनांक 19-07-2024

इन्द्रजीत शर्मा
शजिये शर्मा

19.7.2024

वकूलाए फरिश्त उपस्थित/PU माह 30 वर्ष
1 ला फने हाजिर अदालत आकर 21 जनामा पेश
जिया जिसे काउ व रडीड व 1 मील फार्मल जिया
गया। पत्रावली आकरे स्टेट एक्टर आई-पत्रावली
23.7.2024 को पेश होगी

माजील
श्री विरज शर्मा
I by me
शुभम विरज शर्मा
Classy
I by me
वकील
प्रतिवादीगण
R.K. भास्कर

23.07.2024

वकूलाए फरिश्त उपस्थित/PU माह 30 वर्ष
उष्ठा कहस सुनी गरी। पत्रावली का अदालत के
जिया गया। पत्रावली पर उपस्थित रिवाज व वकील प्रिवादी
श्री राजीनामा के आधार पर वाद जारी रिक्री जिया
जाहा है। पूर्ण विवरण सहित निगीप अलग से
लिखाया जाकर माजिल फार्मल जिया जाये। आवकी
नम्बर से अम की जाकर काउ तरीक तकरी ल जाकर
हाजिल दफतर है।

19/07/2024

